न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 362/2024

निर्णय दिनांक :– 24.09.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सविता देथा पत्नि कुलदीप सिंह जाति चारण उम्र बालिग निवासी नटराज नगर, इमली फाटक, लाल कोठी जयपुर जिला जयपुर राज0 **–प्रार्थीया–**

बनाम

तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0 **– अप्रार्थी–**

उपस्थिति :–

श्री सुनिल कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 148/38 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है। राजस्व रिकार्ड मे खसरा नम्बर 2 गै0 मु0 सड़क एवं खसरा नम्बर 38/102 रकबा 0.54 है0 सिवायचक भूमि दर्ज है। प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 2 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 38/102 मे से होकर आती जाती रही है तथा उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाती ले जाती है। राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रास्ते अलावा प्रार्थीया के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही प्रार्थीया को

24.9.2024

अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये नै0नु0 सड़क खसरा नम्बर 2 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 38/102 में से होकर 30 फीट चोड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 81 खसरा नम्बर 148/38 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 2 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 38/102 में से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार है:—पत्रावली में प्रार्थना पत्र का प्रथम चरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का द्वितीय चरण स्वीकार है। तृतीय चरण वादीगण स्वंय सिद्ध करे।प्रार्थना पत्र का चतुर्थ चरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पंचम चरण माननीय न्यायालय से संबंधित है।प्रार्थना पत्र का छठां चरण वादीगण से ही संबंधित है। अतः प्रकरण में नियमानुसार रास्ता दिया जाना उचित है, जवाब श्रीमान की सेवा मे कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार देवली से रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार है:— प्रार्थी को आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिकॉर्डेड

24.9.2024

रास्ते खसरा न0 2 रकबा 0.95 है0 किस्म गै0मु0 सड़क से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ता 9.1439 मी. चौड़ाई एवं लम्बाई 40 मी. अर्थात् कुल क्षेत्रफल 365.75 वर्गमीटर है। रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 6152887/- रूपये के अनुसार कमशः राशि जिसकी एक गुणा कुल राशि 225042/- रूपये व दुगुनी 450084/- रूपये है। प्रस्तावितं भूमि सिंचित एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी खसरा नं0 38/102 में से रास्ता चाहता है जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड, दीवार संरचना इत्यादि नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने पर रास्ता दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.09.24 से ख. नं. 148/38 रकबा 0.50 है0 में जाने के लिए रास्ते हेतु ख. नं. 38/102 से रास्ता प्रस्तावित किया गया है

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की

24.9.2024

आराजी 1973/1297 व ख0न0 1975/1941 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.09.24 में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम नृसिंहपुरा पटवार हल्का पनवाड़ के ख. नं. 148/38 रकबा 0.50 है0 में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु ख. नं. 38/102 में से 9.1439 मीटर चौड़ा व 40 मीटर लम्बा कुल क्षेत्रफल 365.75 वर्ग मीटर के लिए डी. एल. सी दर 6152887/– प्रति है0 के अनुसार क्षेत्रफल 365.75 वर्ग मीटर के लिए एक गुना राशि 225042/– रूपये व दुगनी राशि 450084/–रूपये प्रतिकर राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता के रूप में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 24.09.2024 को सुनाया गया।

24.9.24

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner